

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**  
**अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ**  
**अल्पकालीन ऑनलाईन निविदा सूचना संख्या 04/ई0ई0/2017-18**

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु आनलाईन निविदाये (<http://etender.up.nic.in>) के माध्यम से सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 22-07-2017 की अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 25.7.2017 की दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ द्वारा निर्धारित की गयी समिति के सदस्यों के समक्ष आन लाईन निविदा खोली जायेंगी।

आन लाईन निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-I) हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-II) तथा स्व:घोषणा पत्र (IDT-III), श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्कैन्ड प्रतियाँ, धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के पक्ष में बंधक होगी, की स्कैन्ड प्रति आन लाईन निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

लॉट सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0)	धरोहर राशि (लाख रू0) 10%	कार्य को पूर्ण करने की अविध	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में) (GST)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 10.600 तक नहर सेवा मार्ग को गढ़ढामुक्त करने का कार्य।	36.93	3.70	01 माह	300.00+ (GST)	बी एवं उच्चतर
2.	जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा के कि0मी0 10.600 से कि0मी0 22.930 तक नहर सेवा मार्ग को गढ़ढामुक्त करने का कार्य।	29.55	2.96	01 माह	300.00+ (GST)	बी एवं उच्चतर
3.	जनपद मेरठ के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा के कि0मी0 38.800 से कि0मी0 51.875 तक नहर सेवा मार्ग को गढ़ढा मुक्त करने का कार्य।	38.58	3.86	01 माह	300.00+ (GST)	बी एवं उच्चतर
4.	जनपद हापुड के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा के सेवा मार्ग को कि0मी0 85.400 से कि0मी0 87.00 तक एवं कि0मी0 87.400 से 90.130 तक गढ़ढामुक्त करने का कार्य।	28.72	2.87	01 माह	300.00+ (GST)	बी एवं उच्चतर
5.	जनपद मेरठ के अन्तर्गत अनूपशहर शाखा नहर के कि0मी0 64.100 से 66.100 तक के सेवा मार्ग को गढ़ढामुक्त करने का कार्य।	12.30	1.23	01 माह	225.00+ (GST)	सी एवं उच्चतर
6.	इकला नाले कि0मी0 26.800 से कि0मी0 32.00 तक आन्तरिक अनुभाग की सिल्ट सफाई का कार्य।	7.49	0.75	20 दिन	225.00+ (GST)	सी एवं उच्चतर
7.	अन्ती नाले के कि0मी0 0.00 से 2.100 तक आन्तरिक अनुभाग की सिल्ट सफाई का कार्य।	1.70	0.17	10 दिन	75.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर
8.	जनपद मेरठ के अन्तर्गत अकबरपुर तारघर, कूडी झाल, ढिकौली, फलावदा, सकौती, एवं सांघन निरीक्षण भवन पर वृक्षारोपण का कार्य।	0.72	0.07	20 दिन	50.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर
9.	जनपद मु0नगर के अन्तर्गत उपखण्ड प्रथम में नौदरा सलारपुर, भूम्मा निरीक्षण भवन एवं किसान सेवा केन्द्र चुडियाला पर वृक्षारोपण का कार्य।	0.55	0.06	20 दिन	50.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर
10.	जनपद मेरठ के अन्तर्गत उपखण्ड द्वितीय किला परीक्षितगढ कोठी व नगला चॉद कोठी पर वृक्षारोपण का कार्य।	1.45	0.15	20 दिन	75.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर

11.	अपर परीक्षितगढ राजवाहे के कि०मी० 4.00 से कि०मी० 5.400 तक बर्म कटिंग का कार्य।	1.93	0.19	20 दिन	75.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर
12.	अपर परीक्षितगढ राजवाहे के कि०मी० 5.800 से कि०मी० 7.200 तक बर्म कटिंग का कार्य।	1.93	0.19	20 दिन	75.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर
13.	किठौर राजवाहे के कि०मी० 4.200 से कि०मी० 5.400 तक बर्म कटिंग का कार्य।	1.99	0.20	20 दिन	75.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर
14.	किठौर राजवाहे के कि०मी० 5.700 से कि०मी० 6.900 तक बर्म कटिंग का कार्य।	1.96	0.20	20 दिन	75.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर
15.	जनपद हापुड में उपखण्ड तृतीय के कार्यक्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य।	0.97	0.10	20 दिन	50.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर
16.	निलोहा नाले के कि०मी० 0.00 से 3.300 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	1.85	0.19	20 दिन	75.00+ (GST)	डी एवं उच्चतर

**शर्तः—**

- 1— यह निविदा सूचना उ०प्र० सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) पर उपलब्ध है।
- 2— निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) से दिनांक 17.07.2017 की पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 22.07.2017 की अपरान्ह 3.00 बजे तक डाली जा सकती है।
- 3— प्रत्येक निविदादाता को रू० 100/- जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि निविदा दरे 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले ऑफर वापिस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा में वर्णित प्रमाण पत्रों के साथ साथ धरोहर धनराशि, निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमान्ड ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
- 4 निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
- 5 निविदादाता को निविदा प्रपत्रों की हार्ड कापी के साथ अधिशासी अभियन्ता, अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर०, टेण्डर सैल मूल्य (वैट सहित) का ड्राफ्ट, (IDT-1). (IDT-2). (IDT-3), निर्धारित श्रेणी का पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र मूलरूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 22.07.2017 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 3.00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी निविदा Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 6 कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 7 राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगा। अनुबंध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है, तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबंध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रस्थापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8 ज्वार्इन्ट वेंचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 9 निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सख्या-622/23.12.2012-2 आडिट/08टीसी-2, दिनांक: 08.06.2012 के अनुसार “10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरे (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1प्रतिशत कम दर पर तथा 10प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों (Below Rates) पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1प्रतिशत कम दर” पर पर्फॉरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10 कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की रीच/मात्रा घटायी, बढाई अथवा परिवर्तित की जा सकती है। साथ ही कार्य की आवश्यकता को देखते हुए नहर की विभिन्न रीचों में कार्य कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

- 11- सडक के कार्य सम्बन्धित साईड के Engineer-In-Charge के निर्देशानुसार मशीन/श्रमिक (जिसके निर्देश में) द्वारा ही कराया जाना होगा।
- 12- Technical evaluation by Tender committee will be done, comparative chart would be prepared and award of contract will be available as per financial sanction.
- 13- विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने के तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 14- यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 15- यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 16- प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2) स्वघोषणा शपथ-पत्र (IDT-3), तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक ठीक उपलब्ध करायी है अथवा नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी अथवा सन्तोषजनक न होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेंगी।
- 17- सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रचलित नियमों व शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।
- 18- निविदादाता को यू0पी0इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ में ई-टेंडरिंग हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 19- अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।
- 20- बीजक से आयकर, जी0एस0टी0 एवं लेबर सैस की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- 21- अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
- 22- सडक निर्माण कार्यों का समान धनराशि का गत 5 वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष में सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना अनुभव प्रमाण पत्र के दरे खोली नहीं जायेगी।
- 23- उपरोक्त निविदायें धनावंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित की गयी हैं। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान एवं ब्याज आदि सम्बन्धी ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 24- उपरोक्त कार्य सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेंगे।
- 25- एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
- 26- जी0एस0टी0 की दरे नियमानुसार टैण्डर निविदा प्रपत्र के मूल्य व कार्यों पर वसूली जायेगी।
- 27- सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं हों।

**अधिकाारी अभियन्ता**  
**अनूपशहर शाखा खण्ड गंगानहर**  
**मेरठ**